

2019-24 के लिये टैरिफ नयिमों को जारी करने की तैयारी में सीईआरसी

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय वदियुत वनियामक आयोग (Central Electricity Regulatory Commission) जल्द ही अगले पाँच वर्षों की टैरिफ नयित्रण अवधि के लिये टैरिफ नयिमों के नरिधारण की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। यह अवधि 2019 से शुरू होगी।

प्रमुख बदि

- आयोग का कहना है कि बजिली कंपनयिों द्वारा इको-फरेंडली उपकरणों पर कयि गए पूंजीगत व्यय की रकिवरी संबंधी समस्या को सुलझाने के लयि तत्काल एक तंत्र स्थापति करने की आवश्यकता है।
- आयोग ने पाया कि इस समस्या के शुरुआती समाधान की आवश्यकता पर बजिली उत्पादन कंपनयिों और वतिरण कंपनयिों के बीच आम सहमति थी।
- केंद्रीय वदियुत प्राधकिरण (सीईए) इस तरह के प्रतष्ठितानों के लयि बेंचमार्क लागत की गणना करने संबंधी काम कर रहा है।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परविर्तन मंत्रालय ने दसिंबर 2015 में देश में कोयला-आधारति बजिली संयंत्रों के उत्सर्जन पर नयित्रण के लयि संशोधति मानकों को अधसूचति कयिा था।
- वदियुत मंत्रालय ने इस अधसूचति का पालन करने के लयि समय मांगा और इन संशोधति मानकों के अनुसार संयंत्रों को तैयार करने के लयि परयिोजनानुसार प्लान तैयार कयिा।
- केंद्रीय वदियुत प्राधकिरण एनटीपीसी की हालयिा नविदिओं के आधार पर उपकरणों के रेट्रोफिटिंग मूल्य हेतु बेंचमार्क स्थापति करने पर काम कर रहा है।
- ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसे उपकरणों के लयि लागत एनटीपीसी और नजिी बजिली उत्पादकों की नविदिओं के बीच ज्यादा भनिन नहीं होगी।
- वदियुत मंत्रालय पहले ही सलाह दे चुका है कि इन संयंत्रों को प्रतसिपरधी बनाए रखने के लयि बजिली के डसिपैच ऑर्डर की तैयारी के दौरान ऐसी लागत शामिल नहीं की जाएगी। बजिली उत्पादकों ने मंत्रालय और वनियामक से पर्यावरण मानदंडों को पूरा करने के लयि आवश्यक लागत वहन करने संबंधी स्पष्टीकरण की मांग की थी।
- एनटीपीसी ने केंद्रीय वदियुत वनियामक आयोग के समक्ष वदियुत अधनियम, 2003 के सेक्शन 79 के याचकिा दायर की थी, जसिमें संशोधति पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन हेतु थर्मल-संयंत्रों में वभिनिन प्रदूषण नयित्त्रक प्रणालयिों की स्थापना के लयि व्यय संबंधी मंजूरी की मांग की गई थी।
- सीईआरसी 2019-24 की अवधि के लयि टैरिफ नयिमों को तैयार करने संबंधी दृष्टकिोण पत्र को अंतमि रूप देने के करीब है।
- इस पत्र को अगले 10 दनिों में सार्वजनकि परामर्श हेतु जारी कयि जाने की संभावना है।
- आयोग का कहना है कि उसने टैरिफ नयिमों के लयि वचिार-वमिर्श के दायरे को बढ़ाने की पूरी कोशशि की है और उनकी टीमों ने दृष्टकिोण पत्र तैयार करने हेतु जोनल स्तर तक पहुँच स्थापति की है तथा वदियुत कषेत्र में प्रतयेक बहस योग्य पहलू को इसमें शामिल करने का प्रयास कयिा गया है।
- दृष्टकिोण पत्र पर सभी हतिधारकों के साथ वचिार-वमिर्श के पश्चात् ड्राफ्ट टैरिफ नयिम जारी कयि जाऐंगे। फाइनल नयिमों के दसिंबर तक तैयार हो जाने की उम्मीद है।